

मांग संख्या 33  
मुख्य शीर्ष 2202

**मद क्रमांक 1**

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत आश्रमों / छात्रावासों में आवासरत् पात्र छात्रों को खाद्यान्न सुरक्षा हेतु ₹ 56.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 56,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।